

कार्यालय उप वन संरक्षक, बून्दी

Add. - Nainwa Road, Behind Head Post Office, Bundi - 323001

E-Mail:- dcf.bundi.forest@rajasthan.gov.in, Tel. No. 0747-2456823, Fax No. 0747-2457462

क्रमांक एफ()एफसीए/उवसं/2023/2174

दिनांक : 16/3/23

निमित्त:

विमानपतन निदेशक,
भारतीय विमानपतन प्राधिकरण,
कोटा,

Subject:- Diversion of 406.678 Hac. (Out of originally proposed 466.592 Hac) of Forest land in favour of AIRPORT AUTHORITY OF INDIA KOTA for Construction of New Green Field Airport Kota, District- Bundi in the State of Rajasthan. Proposal No.FP/RJ /Others/ 150590/2021.

प्रसंग:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय अलीगंज नई दिल्ली का पत्र 8-05 दिनांक 27.01.2023 एवं अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए. राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक 4658-59 दिनांक 31.01.2023 एवं राजस्थान सरकार वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. एफ.9.3(12) वन/2019 दिनांक 09.03.2023 एवं इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1277 दिनांक 08.02.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रस्तावित Proposed Diversion of 466.592 hac. Forest land for Construction of New Green Field Airport Kota, District- Bundi in the State of Rajasthan में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय अलीगंज नई दिल्ली का पत्र 8-05 दिनांक 27.01.2023 द्वारा 466.592 हे० प्रस्तावित प्रत्यावर्तन में से 406.678 हे० की In-Principle Approval/Stage-1 Clearance प्राप्त हुई है। जिसमें एनपीवी, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण राशि एवं प्रस्तावित प्रोजेक्ट के उत्तर दिशा में शेष वन भूमि में अतिक्रमण न हो पावे बावत् 4 फिट ऊँचाई में 02 सेगमेंट में वन सीमा पर पक्की दिवार निर्माण की राशि, विषयांकित प्रकरण में आवश्यक धनराशि की गणना निम्नप्रकार है-

1. सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्त संख्या B(ii) के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में कार्यालयाधीन प्रभावित वन क्षेत्र के बदले कार्यालय अधीन 933.19 हे० क्षेत्र में 9.34 लाख पौधों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु (वैज रेट 259 रु प्रति दिन) से राशि 197884809 रु० (उन्नीस करोड अठत्तर लाख चोरासी हजार आठ सौ नो रुपये)
2. सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्त संख्या B(iii) के अनुसार प्रस्तावित प्रोजेक्ट के उत्तर दिशा में शेष वन भूमि में अतिक्रमण न हो पावे बावत् 4 फिट ऊँचाई में 02 सेगमेंट (2807+1660) में वन सीमा पर पक्की दिवार निर्माण की राशि रु. 3016/- रनिंग मीटर की दर से 4467 कुल राशि रु. 13472472 /-(एक करोड चोतीस लाख बहत्तर हजार चार सौ बहत्तर रुपये)
3. सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्त संख्या B(iv) के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई०ए० संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007 एफ०सी० दिनांक 05.02. 2009 एवं संशोधित आदेश 5-3/2011- FC (Vol&-1) दिनांक 06.01.2022 & MoEF&CC's Guidelines dated 19.01.2022 के तहत दिये गये आदेशानुसार एवं राजस्थान सरकार वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. एफ.9. 3(12) वन/2019 दिनांक 09.03.2023 के अनुसार वनखण्ड जाखमूण्ड का कुल वन क्षेत्र 2276.29 है० में से प्रस्तावित एयरपोर्ट हेतु 539.782 है० बफर से डिनोटिफाई होने के उपरांत शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) 957780 प्रति है० की दर से 406.678 है० की राशि 389508054.84 /-(अडतीस करोड पिच्चानवें लाख आठ हजार पचपन रुपये)

Ramesh

बिन्दू संख्या 1, 2 एवं 3 की कुल राशि (CA=197884809+Wall=13472472 + NPV= 389508054.84 रु0) 600865335.84 रु0 (साठ करोड आठ लाख पैसठ हजार तीन सौ छत्तीस रुपये) ई-पोर्टल (<http://parivesh.nic.in/>) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा केम्पा अकाउंट में जमा करवाकर एवं सैद्धान्तिक स्वीकृति में वर्णित शर्तों की बिन्दूवार पालना रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें। ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।

भवदीय


(डॉ. टी मोहनराज)
उप वन संरक्षक
बून्दी

क्रमांक एफ()एफसीए/उवसं/2023/

दिनांक :

- अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए. राजस्थान जयपुर।
- संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(डॉ. टी मोहनराज)
उप वन संरक्षक
बून्दी